उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14—अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN-U32201UP1999SGC024928

संख्या—1890—पें0एवंआर0—28 / पाकालि / 23—37—पें0एवंआर0 / 2015, दिनांक 02.12.2023

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
केस्को, कानपुर।

विषयः प्रत्येक वर्ष 17 दिसम्बर को प्रत्येक जनपद में पेंशनर दिवस आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 का पत्र संख्या—29 / 2023 / आई / 431051 / 2023 / फा0नं0—10—22099 / 563 / 2020, दिनांक 21 नवम्बर, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 शासन की विज्ञप्ति संख्या—13 / 2015 / सा—3—631 / दस—2015—944 / 88, दिनांक 24 जून, 2015 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्व वर्षों की भांति 17 दिसम्बर 2022 को पेंशनर दिवस मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पूर्व पत्र संख्या—1426—पें0एवंआर0—28 / पाकालि / 2015, दिनांक 03.12.2015 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पेंशनर दिवस आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश निर्गत किये गये हैं।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कारपोरेशन (मु0) के पत्र संख्या—1724—पें0एवंआर0—28 / पाकालि / 2022, दिनांक 30.11.2022 **(छायाप्रति संलग्न)** के अनुक्रम में प्रत्येक सम्बन्धित डिस्कॉम के साथ मुख्य अभियन्ता कार्यालयों तथा प्रत्येक जिले के अधिशासी अभियन्ता कार्यालय जहां से पेंशनर्स के पेंशन सम्बन्धी कार्यों का निस्तारण किया जाता है, पर 17 दिसम्बर, 2023 को सक्षम अधिकारी के नियंत्रणाधीन पेंशनर दिवस का आयोजन कराने का कष्ट करें, ताकि पावर कारपोरेशन के पेंशनरों की पेंशनरी समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराया जा सके।

भवदीय,

(शमशाद अहमद)
अपर सचिव (तृतीय)

संख्या—1890(I) / पें0एवंआर0—28 / पाकालि / 23, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित—

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

क्रमशः...2

4. समस्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उप महा प्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियां।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
9. लेखाधिकारी (पेंशन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. कट फाइल।

आज्ञा से

(ए0के0 निगम)
संयुक्त सचिव (अरा0)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या : 1426–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 2015–37–पें0एवंआर0 / 2015 दिनांक : 03 दिसम्बर, 2015

SL-2

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी,
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ,
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा,
केस्को, कानपुर।

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन,
लखनऊ।

विषय : पेन्शनर दिवस का आयोजन (17 दिसम्बर, 2015)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के पत्र संख्या–सा–3–1036 / दस–2015–944 / 88 टी0सी0 दिनांक 23.11.2015 एवं विज्ञप्ति संख्या–13 / 2015 / सा–3–631 / दस–2015–944 / 88 दिनांक 24.06.2015 की छायाप्रति संलग्न करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन की अनुरूपता में कारपोरेशन में भी उक्त दिवस को प्रत्येक जनपद में पेन्शन आहरण इकाई स्तर पर पेन्शनर दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

2. अतः अनुरोध है कि :–

(क) अपने अधीनस्थ जनपद वार पेन्शन आहरण इकाई के स्तर पर, अधीक्षण अभियन्ता की अध्यक्षता में पेन्शनर दिवस आयोजित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निदेशित करना सुनिश्चित करें।

(ख) इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी निदेशित करें कि जिले के पेन्शनर संगठनों के पदाधिकारियों को अवश्य आमंत्रित किया जाये तथा उन्हें अपनी समस्यायें एवं सुझाव देने का अवसर दिया जाये।

(ग) चर्चा में उठाये गए महत्वपूर्ण बिन्दुओं को कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से उल्लिखित करते हुए यह इंगित किया जाये कि उसके सम्बन्ध में किस प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी है, तथा उनका नियमित अनुश्रवण किया जाय।

3. उपरोक्तानुसार कृत कार्यवाही से सम्बन्धित पेन्शन संगठन समस्त सम्बन्धित अधिकारियों एवं कारपोरेशन (मुख्यालय) को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एच0पी0 वर्मा)
अपर सचिव (तृतीय)

संख्या : 1426—पें0एवंआर0—28/पाकालि/2015 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्सम कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/मुख्य अभियन्ता (जानपद—वितरण/पारेषण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक इकाई एवं पेन्शन सेल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,

(एच0पी0 वर्मा)
अपर सचिव (तृतीय)

संख्या : 1426—पें0एवंआर0—28/पाकालि/2015 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष, विद्युत पेन्शनर्स परिषद, उ0प्र0, लखनऊ 103, कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, 22 ऑफ स्टेशन रोड, छितवापुर भुइयन, लखनऊ।
2. महासचिव, विद्युत पेन्शनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, 86/92—ख, रिसालदान पार्क, लखनऊ।

आज्ञा से,

(एच0पी0 वर्मा)
अपर सचिव (तृतीय)

संख्या–सा–3–1036/दस–2015–944/88 टी0सी0 ।

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2–समस्त मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य)अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक : 23 नवम्बर, 2015

विषयः– दिनाँक 17 दिसम्बर, 2015 को पेंशनर्स दिवस मनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन की विज्ञप्ति संख्या–13/2015/सा–3–631/दस–2015–944/88, दिनाँक 24 जून, 2015 की प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया दिनाँक 17 दिसम्बर, 2015 को होने वाले पेंशनर्स दिवस को प्रभावकारी एवं सार्थक रूप से आयोजित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

2– मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि जिले के सभी पेंशनर संगठनों के पदाधिकारियों को अवश्य आमंत्रित किया जाये तथा उन्हें अपनी समस्यायें एवं सुझाव देने का अवसर दिया जाये। जिले के विभागाध्यक्षों एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को भी आमंत्रित किया जायें।

चर्चा में उठाये गये महत्वपूर्ण बिन्दुओं को कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से उल्लिखित करते हुये यह इंगित किया जाये कि उसके सम्बन्ध में किस प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी है, तथा उनका नियमित अनुश्रवण किया जाये।

कार्यवृत्त की प्रतिलिपि पेंशनर संगठनों, जिले के विभागध्यक्षों / प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों, निदेशक पेंशन तथा वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 को पृष्ठांकित की जाये।

भवदीय,

संलग्नक : यथोक्त।

(नील रतन कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या–सा–3–1036(1)/दस–2015, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1)– निदेशक पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

(2)– निदेशक कोषागार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे समस्त मुख्य वरिष्ठ कोषाधिकारियों को "ई–मेल" के माध्यम से सूचित करने का कष्ट करें।
(3)– समस्त अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
विशेष सचिव

संख्या–सा–3–103(2)/दस–2015, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1)- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया इस विज्ञप्ति का समुचित प्रसार एवं प्रचार करा दें।
(2)- संयुक्त पेंशनर्स समन्वय समिति, उ0प्र0, 51 मानस विहार, कुर्मान्चल नगर, लखनऊ।
(3)- गवर्नमेण्ट पेंशनर्स वेलफेयर आर्गनाईजेशन, उ0प्र0, एच0आई0जी0, 80/23, रूचि खण्ड-1, शारदा नगर, लखनऊ।
(4)- उ0प्र0 राजकीय सिविल पेंशनर्स परिषद, बी-1/81, सेक्टर "जी", अलीगंज, लखनऊ।
(5)- पी0सी0एस0 (रिटायर्ड) आफिसर्स एसोसियेशन, उ0प्र0, 32-बी, अग्निपथ, ए0डी0ए0 कालोनी, 07 सप्रू रोड, इलाहाबाद।
(6)- उ0प्र0 सचिवालय, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसियेशन, 54 कैण्ट रोड, उदयगंज, लखनऊ।
(7)- उ0प्र0 पुलिस पेंशनर्स कल्याण संस्थान, 19/47, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
(8)- सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स कल्याण संघ, उ0प्र0 राजभवन, 630, अलंकार सिनेमा रोड, लखनऊ।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3

संख्या-13 /2015/सा-3-631/दस-2015-944/88

लखनऊ : दिनाँक : 24 जून, 2015

विज्ञप्ति

राज्य सरकार के पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं की जनपद स्तर पर सुनवाई एवं निराकरण हेतु प्रति वर्ष दिनाँक 17 दिसम्बर को एक बार पेंशनर दिवस पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में आयोजित किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

2- पेंशनर दिवस जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित किया जायेगा, जिसका समन्वयन जनपद के मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा किया जायेगा। पेंशनर दिवस में जनपद के प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष भी प्रतिभाग करेंगे, ताकि पेंशनरों की ऐसी समस्यायें जिनका निराकरण कार्यालयाध्यक्षों द्वारा किया जाना है, की भी सुनवाई हो सके एवं उन पर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

3- उपर्युक्त निर्धारित पेंशनर दिवस की तिथि का व्यापक प्रचार-प्रसार निदेशक, पेंशन, निदेशक, कोषागार एवं जनपद के कोषाधिकारियों द्वारा किया जायेगा, ताकि पेंशनर दिवस प्रभावकारी एवं सार्थक रूप से आयोजित हो सके।

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

संख्या-13/2015/सा-3-631(1)/दस-2015-944/88, तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14—अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN-U32201UP1999SGC024928

संख्या—1724—पें0एवंआर0—28 / पाकालि / 22—37—पें0एवंआर0 / 15, दिनांक 30.11.2022

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
केस्को, कानपुर।

विषय :प्रत्येक वर्ष 17 दिसम्बर को प्रत्येक जनपद में पेंशनर दिवस आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, वित्त (सामान्य) अनुभाग—3 का पत्र संख्या—28 / 2022—आई / 239467 / 2022—फा0नं0 10—22099 / 563 / 2020—22, दिनांक 24.11.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 शासन की विज्ञप्ति संख्या—13 / 2015 / सा—3—631 / दस—2015—944 / 88, दिनांक 24 जून, 2015 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्व वर्षों की भांति 17 दिसम्बर 2022 को पेंशनर दिवस मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या—1685—पें0एवंआर0—28 / पाकालि / 2021, दिनांक 10.12.2021 द्वारा विगत वर्षों की भांति गत वर्ष भी 17 दिसम्बर, 2021 को प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पेंशनर दिवस आयोजित करने के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश निर्गत किये गये थे।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कारपोरेशन (मु0) के पत्र संख्या—1685—पें0एवंआर0—28 / पाकालि / 2021, दिनांक 10.12.2021 के अनुपालन में प्रत्येक सम्बन्धित डिस्कॉम के साथ मुख्य अभियन्ता कार्यालयों तथा प्रत्येक जिले के अधिशासी अभियन्ता कार्यालय जहां से पेंशनर्स के पेंशन सम्बन्धी कार्यों का निस्तारण किया जाता है, पर 17 दिसम्बर, 2022 को सक्षम अधिकारी के नियंत्रणाधीन पेंशनर दिवस का आयोजन कराने का कष्ट करें, ताकि पावर कारपोरेशन के पेंशनरों की पेंशनरी समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराया जा सके।

भवदीय,
श0 अहमद
30/11/22
(शमशाद अहमद)
अपर सचिव (तृतीय)

संख्या—1724(।)पें0एण्डआर0—28 / पाकालि / 2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित—

1. अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

क्रमशः...2

2. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उप महा प्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियां।
4. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. लेखाधिकारी (पेंशन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. कट फाइल।

आज्ञा से

(आनन्द श्रीवास्तव)
अनु सचिव (पें0एवंआर0)